

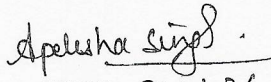
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा

जनपद न्यायालय, गोण्डा में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश-

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-14/एडमिन.डी. सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, गोण्डा में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की सीमित अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए की जायेगी। पुनर्नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं जिस पद के सापेक्ष की जायेगी, वह पद सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने की दशा में सम्बन्धित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
3. पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन की धनराशि से वर्तमान पेंशन की धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि परिलब्धियों के रूप में देय होगी।
4. अभ्यर्थियों को अपने प्रार्थना पत्र के साथ उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित न होने और न ही किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया गया है, संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थियों को दो संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थियों को सेवा में पुनर्नियुक्ति के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियुक्ति तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
7. साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
8. आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर दिनांक 10.02.2026 को सायंकाल 04:00 बजे तक जनपद न्यायालय, गोण्डा के नजारात अनुभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। जनपद न्यायालय, गोण्डा की वेबसाइट पर अपलोड करायी जाये एवं जिला सूचना अधिकारी गोण्डा को स्थानीय राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु आदेश की प्रति प्रेषित हो तथा बार के सूचना पटल पर एक प्रति चस्पा हो।


सदस्य, 31.01.26

चयन समिति/


सदस्य,

चयन समिति/31.01.26.


अध्यक्ष, 31.01.2026

सिविल जज (सी.डि.), गोण्डा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।

कक्ष संख्या-3, गोण्डा।

आवेदन का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. आवेदक की जन्मतिथि :-
4. दिनांक 01.02.2026 को आवेदक की आयु
(वर्ष माह व दिन) :-
5. स्थाई पता :-
6. स्थानीय आवास एवं पत्राचार का पता :-
7. मोबाइल नम्बर :-
8. अन्तिम धारित पद व न्यायालय/कार्यालय
का नाम :-
9. सेवा निवृत्ति की तिथि :-
10. अन्तिम वेतनमान व प्राप्त मूल वेतन :-
11. निर्धारित पेंशन की धनराशि :-
12. पी०पी०ओ० नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) :-
13. लम्बित जांच/अनुशासनिक कार्यवाही का
विवरण :-
14. सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध किसी
न्यायालय में यदि अभियोग पंजीकृत हुआ
है, अथवा लम्बित है, का विवरण :-
15. फोटोयुक्त पहचान-पत्र (छायाप्रति संलग्न करें) :-

अपनी नवीनतम फोटो
चस्पा करें।

घोषणा

मैं पुत्र श्री घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी सम्पूर्ण जानकारी में सत्य व सही हैं। यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए तथा इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक:-

आवेदक का पूरा नाम.....

हस्ताक्षर.....